न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 331–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 610/अपील/11–12.

1– श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी स्व. श्री छतरसिंह,
2– पप्पी बाई पुत्री स्व. श्री छतरसिंह
3– ओमवती बाई पुत्री स्व. श्री छतरसिंह
4– सविता बाई अव्यस्क पुत्री स्व. श्री छतरसिंह
संरक्षिका मां मुन्नीबाई पत्नी स्व. श्री छतरसिंह
निवासीगण ग्राम भोरिया तहसील सिंरोज
जिला विदिशा ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– लच्छीराम पुत्र स्व. श्री जुगराजसिंह
2– अजब सिंह आ. स्व. श्री जुगराज सिंह
निवासीगण ग्राम भोरिया तहसील सिंरोज
जिला विदिशा ---- अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14 – 1 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के

अपील प्रकरण क्रमांक 610/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29–12–14 में पारित आदेश दिनांक 29–12–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकागण एवं उनके पिता स्व0 श्री जुगराजसिंह द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सिद्दीकपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 219 रकबा 2.972 हैक्टर एवं सर्वे नं. 236 रकबा 1.138 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 4.110 हैक्टर जो जुगराजसिंह के नाम अंकित है तथा पैत्रिक संपत्ति होने से उसमें अनावेदकों का जन्म से ही स्वत्व अधिकार प्राप्त है व आपस में विवाद रहने के कारण उपरोक्त खाते का उनके द्वारा वाहमी विभाजन कर लिया है और मौके पर किए गए वाहमी विभाजन अनुसार पृथक–2 काबिज रहकर फसल लाभ प्राप्त कर रहे हैं । अतः कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाये । उक्त आवेदन पर से नायब तहसीलदार द्वाराप्रकरण दर्ज कर सुनवाई एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा फर्द अनुसार बंटवारा स्वीकृत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदको ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । साथ ही यह भी निर्देश दिये कि आवेदकगण व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के संबंध में अपना वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया था इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत सुनवाई एवं विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था तदुपरांत ही अंतिम बहस सुनकर आदेश पारित करना था किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने इन आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए सीधे आदेश पारित किया गया है । उन्होंने यह भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एक अन्य प्रकरण कमांक 585/अपील/11–12 को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकों के पूर्वज छतरसिंह को ग्राम भोरियां की भूमि दी जा चुकी है जो उसके भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित होकर उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है । उक्त तथ्यों पर विचार न करने के कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है और आवेदकगण व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के संबंध में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं यह आदेश दिये हैं । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है जिसमें कोई विधिक या

सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर